

प्रारूप-2
(नियम 24(1) देखें)

संख्या:- 209

तारीख 08-03-2013

झारखण्ड सरकार
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1996 की धारा 7 की उपधारा 3 के और अधिनियम बनाये गए नियमों के अधीन, उपबद्ध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए मेसर्स. श्री. टेक्नोक्वैटर बील्डींग सेक्टर प्रा. लि. को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

1. नियोजक का नाम एवं पता

श्री. टेक्नोक्वैटर बील्डींग सेक्टर प्रा. लि.
10 डेग टावर, प्रथम तल्ला, सुबी सफ्टवेयर
मिशन एण्डवियर बर्गी-चौक, धनबाद।

2. उस स्थान का डाक पता/अविस्थिति जहाँ
नियोजक द्वारा भवन अथवा निर्माण कार्य
किया जाना है।

:- वास्तु विहार, -मोटा कुसभा एवं
ओपिण्डपुर, धनबाद।

3. स्थापना का नाम एवं स्थायी पता

श्री. टेक्नोक्वैटर बील्डींग सेक्टर प्रा.
लि., 10 डेग टावर प्रथम तल्ला, सुबी
सफ्टवेयर रोड, मिशन एण्डवियर बर्गी-चौक
धनबाद।

4. उस कार्य की प्रकृति जहाँ भवन निर्माण कर्मकार
नियोजित किए जाने हैं

:- सिविल वर्क

5. नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किए जाने
वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिक संख्या

:- 200 (दो सौ)

6. कार्य प्रारंभ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख

:- वर्ष 2010 से वर्ष 2020

7. भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिए सुसंगत
अन्य विशिष्टिया

:- RSI-7251 = दिनांक - 04-03-2013

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के
हस्ताक्षर मुहर के साथ

उपबद्ध

यहां उपर प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात:-

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अस्थानांतरणी होगा (ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापना में भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी (ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के प्रदान के लिए संदत की गई फीस अप्रतिदेय होगी, (घ) भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजन द्वारा संदेय मजदूरी दर, ऐसे नियोजन में जहां वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 2) के अधीन निर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी और जहां दरें किसी कसर समझौते या पंचाट द्वारा नियम की गई है वहां इस प्रकार नियम दरों से कम नहीं होगी, (ङ) नियोजक अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

फारम -2, (नियम 18 (1) द्रष्टव्य)

झारखण्ड सरकार

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी -सह-श्रम अधीक्षक, धनबाद।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या- 178

दिनांक 11.3.2013.

ढेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 7 की उपधारा (2) और तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन टेक्नोकलचर विल्डिंग सेन्टर प्रा0 लि0, 1डी हेमटावर लुबी सर्कुलर रोड, रणधीर वर्मा चौक के पास, धनबाद को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 200 (दो सौ) श्रमिक के नियोजन के लिए मंजूर किया जाता है जिसमें निम्नलिखिता व्यौरे शामिल हैं:-

1. स्थापना/प्रतिष्ठान में किये जानेवाले कार्य का स्वरूप Building Construction.
2. संवेदक के माध्यम से स्थापना में किये जाने वाले कार्य का स्वरूप Building construction

ढेकेदार का नाम एवं पता	कार्य का स्वरूप जिसमें ढेका मजदूर नियोजित हैं या नियोजित किये जायेगें	ढेकेदार के माध्यम से किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले कामगारों की संख्या	ढेका मजदूरों के नियोजन के सम्बन्ध में अन्य व्यौरा
1	2	3	4
1. अख्तर अंसारी, महाराजगंज, ढुण्डी, धनबाद। 2. सज्जाद सलीम, महाराजगंज, ढुण्डी, धनबाद। 3. विकास राय, धमौन, समस्तीपुर बिहार।	भवन निर्माण	200	

रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का

